संख्या:6/2018/66/35-4-2018

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 19 जनवरी,2018

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-70/2017/642/35-4-2017 दिनांक 27 अक्टूबर,2017 के साथ पठित शासनादेश संख्या-1/2018/12/35-4-2018 दिनांक 05 जनवरी,2018 के द्वारा प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा एवं प्रत्येक मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु कुल 50300 हैण्डपम्पों की रू. 22635.00 लाख की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5000.00 लाख की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संबंधितों के साथ ही मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को है। अवमुक्त धनराशि का आहरण लखनऊ कलेक्ट्रेट से होना है। अत: प्रतिलिपि के बिन्दु संख्या-9 को मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट पढ़ा जाये। इस सीमा तक उक्त शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:6 /2018/66(1)/35-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि विपणन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट।
10-समस्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या,उ0प्र0।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से ,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in